1

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

( पीठासीन अधिकारीः सी0 एल0 शर्मा, आर.ए.एस.)

दावा सं0– 68 / 2018

प्रविष्टि दिनांक– 11.06.2018

## उनवान

गीता देवी पुत्री बजरंगलाल पत्नि छोटूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक राजस्थान, हाल जिन्सी टोंक राजस्थान। वादीगण

## बनाम

1. अनोखी पत्नि बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी मेहंदवास तहसील व जिला टोंक।
2. तहसीलदार टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान। प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री विक्रम जैन वकील वादीगण
श्री मोहम्मद सलीम वकील प्रतिवादीगण

## निर्णय

**वाद बाबत् उद्घोषणा, खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा**
**अ0 धारा 88, 188, 92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट**

दिनांक : 9/X/2019

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि यह भूमि आराजी खसरा नम्बर 1900 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1903 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1911 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1919 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1920 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1921 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2412 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2413 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 2415 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2445 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा 2450 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2451 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मेहंदवास, पटवार क्षेत्र मेहंदवास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मेहंदवास, तहसील व जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। जिसमें 1/4 हिस्से पर बजरंग पुत्र रामदेवा बतौर खातेदार, काबिज, काश्तकार थे व खसरा नम्बर 1923 रकबा 2 बिस्वा के 1/6 हिस्से में भी बजरंग खातेदार व कास्तकार थे। उपरोक्त आराजीयात वादिया की पैतृक सहदायिक आराजीयात है। वादिया अपने पिता के जीवनकाल से ही बतौर सहदायिका उक्त आराजीयात को काश्त करती चली आ रही है। वादिया के पिता बजरंगा पुत्र रामेदवा जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पति है। वादिया के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति बजरंगा पुत्र रामदेवा दिनांक 01.01.2002 को दिल्ली स्थित अपने मकान जे–ब्लॉक/1255 जहागीरपुर, आजादपुर मण्डी के पास, नईदिल्ली से किसी कार्यवश घर से निकले थे और उसके बाद से आज तक लोटकर वापस नही आये है। वादिया, प्रतिवादी संख्या 1 उनके अन्य परिवारजन द्वारा उसके पिता की काफी तलाश की, लेकिन उसके पिता बजरंगलाल की कोई समाचार नही मिले। विगत 17 वर्षो से वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 बजरंगलाल पुत्र रामदेवा जी को काफी तलाश किया, किन्तु किसी भी व्यक्ति ने दिनांक 01.01.2002 से आज तक उनको जिन्दा नही देखा है, ना ही उनके बारे में किसी ने कोई जानकारी या बात सुनी, किसी भी व्यक्ति ने वादिया व प्रतिवादी सख्या 01 को यह नही कहा कि उन्होने बजरंगलाल जी को इस दुनिया में कही भी देखा हो या उनके जिन्दा होने के बोर में सुना हो। धारा 188 साक्ष्य अधिनियम यह कहता है कि Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years-1(Proveded that when) the question is whether a man is alive or dead, and it is proved that he has not been heard of for seven years by those who would naturally have have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is 2(shifted to) the person who affirms it.-1(provided that when) the question is whether a man is alive or dead, and it is proved that he has not been heard of for seven years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is 2(shifted to) the person who affirms it." अर्थात विगत 16 वर्षो से किसी भी व्यक्ति ने उनके जिन्दा होने की साक्ष्य नही दी है ना ही

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ने बजरंगलाल जी को दिनांक 01.01.2002 के बाद कभी देखा है। ऐसी स्थिति में कानूनी प्रावधानो के अनुसार उन्हें मृत माना जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी खातेदारी एवं कब्जे, काश्त की आराजीयात का खातेदार, काश्तकार वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। वादिया ने अपने वाद को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजात–जमाबन्दी संवत–2071–74, खाता सं0 301, 300 वाके ग्राम मेहन्दवास, रसीद बेंक भूमि विकास बेंक, नोड्यूज बेंक आदि पेश किये गये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी नं. 1 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1900 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1903 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1911 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1919 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1920 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1921 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2412 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2445 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2451 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मेहंदवास, पटवार क्षेत्र मेहंदवास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मेहंदवास, तहसील व जिला टोंक राजस्थान 1/4 हिस्से का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने में उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 01 को कोई उज्र या आपत्ति नहीं है।

वादिया ने अपने पक्ष में पीडब्ल्यू–1 गीता, पीडब्ल्यू–2 रामलाल, पीडब्ल्यू–3 नाथू के शपथ–पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादिया के पिता दिनांक 01.01.2002 से लापता है। उस समय उनकी उम्र लगभग 52 वर्ष थी इस प्रकार वादिया के पिता का जीवित होना संभव नहीं है साथ ही वादिया उसकी विधिक वारिस है। साक्ष्य अधिनियम की धारा–188 इस प्रकरण में लागू होती है। जिसके तहत विगत 16 वर्षो से किसी भी व्यक्ति ने उनके जिन्दा होने की साक्ष्य नही दी है ना ही वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ने बजरंगलाल जी को दिनांक 01.01.2002 के बाद कभी देखा है। ऐसी स्थिति में कानूनी प्रावधानो के अनुसार उन्हें मृत माना जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी खातेदारी एवं कब्जे, काश्त की आराजीयात का खातेदार, काश्तकार वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

## आदेश

अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण के हक में डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1900 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1903 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1911 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1919 रकवा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1920 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1921 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2412 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2413 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 2415 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2445 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा 2450 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2451 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मेहंदवास, पटवार क्षेत्र मेहंदवास में बजरंगा पुत्र रामदेवा के स्थान पर वादिया गीता देवी पुत्री एंव प्रतिवादी अनोखी पत्नि को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

(सीएल शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

निर्णय आज दिनांक 9/X/2012 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री सी0 एल0 शर्मा आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

गीता देवी पुत्री बजरंगलाल पत्नि छोटूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक राजस्थान, हाल जिन्सी टोंक राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. अनोखी पत्नि बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी मेहंदवास तहसील व जिला टोंक।
2. तहसीलदार टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री विक्रम जैन वकील वादीगण
श्री मोहम्मद सलीम वकील प्रतिवादीगण

वाद बाबत् उद्घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा नं0 68/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

**अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण के हक में डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1900 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1903 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1911 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1919 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1920 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1921 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2412 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2413 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 2415 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2445 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा 2450 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2451 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मेहंदवास, पटवार क्षेत्र मेहंदवास में बजरंगा पुत्र रामदेवा के स्थान पर वादिया गीता देवी पुत्री एंव प्रतिवादी अनोखी पत्नि को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।**

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 9/X/2019 को जारी किया गया।

(सीएल शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज0)

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालत नामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महन्तनामा वकील<br>खर्चा गवाहन<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिंक<br>मीशान | / | / | स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालत नामा<br>महन्तनामा वकील<br>खर्चा गवाहन<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिंक<br>मिजान | / | / |

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

**उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

Scanned by CamScanner